

# न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 83 / 2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
गंगाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी		1. खेताराम पुत्र वागाराम 2. रावताराम पुत्र वागाराम 3. वाली पत्नि वागाराम 4. राजों पत्नि हरखाराम जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी 5. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
उपस्थिति-**

- 1.श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित
- 2.प्रतिवादीगण एकतरफा।

**निर्णय**

दिनांक- 07.12.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि पक्षकारान की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 162 रकबा 0.0243 हैक्टेयर,खसरा संख्या 163 रकबा 24.0192 हैक्टेयर मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 06.01.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम एड अमरसिंह तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 162, 163 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर	विशेष
1	गंगाराम पुत्र धनाराम जाति जाट सा देह खातेदार			
2	खेताराम 1/6 हि0 रावताराम 1/6 हि0 पुत्र वागाराम वाली पत्नि वागाराम 1/6 हि0 राजो पत्नि हरखाराम 264/1942 हि0 धापूदेवी पत्नि रावताराम 157/1942 हि0 पेमाराम पुत्र खेताराम 236/1942 हि0 जाति जाट सा0 देह वरजूदेवी पत्नि आदुराम 314/1942 हि0 जाति जाट सा0 पिपराला खातेदार रहन:- रावताराम का हि0 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी	163	7.8662	किस्म
		163	9.1578	बा.सो.
		163	6.5502	बा.सो.
3	गंगाराम पुत्र धनाराम 1/3 खेताराम 1/6 रावताराम 1/6 पुत्र वागाराम राजो पत्नि हरखाराम 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	कुल	15.7080	
4	खेताराम 1/4 रावताराम 1/4 वागाराम राजो पत्नि हरखाराम 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	163	0.4450	बा.सो.
		162	0.0243	लाल
				गैर मुमकीन
				पहाड़ी

तहसीलदार, सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(सहायक कलेक्टर

**मूलवाद में डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
पीठासीन अधिकारी:— श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

**वादीगण**

गंगाराम पुत्र धनाराम जाति जाट  
निवासी एड अमरसिंह तहसील  
सिणधरी

**उनवान**

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. खेताराम पुत्र वागाराम
2. रावताराम पुत्र वागाराम
3. वाली पत्नि वागाराम
4. राजों पत्नि हरखाराम जाति जाट  
निवासी एड अमरसिंह तहसील  
सिणधरी
5. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरुधरा  
ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी
6. तहसीलदार सिणधरी


दावा बाबत:— 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :-83/2021

निर्णय दिनांक :- 07.12.2023

वादीगण की ओर से श्री जोगराज पोटलिया/पाबुराम बेनीवाल अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 07.12.2023 को श्री प्रमोद कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 07.12.2023 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

**वाद के खर्चे**

वादीनीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	